शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉ तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(03)/अता./ ता प्र.सं. 11/तृतीय सत्र (बजट सत्र–2022)/दिविस/श.वि./2025-27 दिनांक: 23.03.2022

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः–दिल्ली सातवीं विधानसभा के तृतीय सत्र (बजट सत्र) तारांकित प्र. स. 11 मान्नीय विधायक श्री पवन शर्मा, दिनांक 24.003.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ, मान्नीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मान्नीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार

9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री पवन शर्मा

दिनांक : 24.03.2022

विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या : 11

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प.स.	प्रश्न	उतर
क	क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के एक रिहाइषी इलाके में मैसर्स आईएल ऍंड एफ एस को डिमोलीशन के कचरे से इनरलाकिंग टाइल्स निर्माण की इकाई के परिचालन की अनुमति दी गई थी	यह सत्य है कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में मैसर्स आईएल ऍंड एफ एस जिसका नया नाम इंन्डो इनवायरो इनटीग्रेटीड़ सॉलूसन्स लिमिडेड है का सी एण्ड प्लानट 2009 से चालू है परतुं यह रिहाइषी इलाके से बाहर है।
ख	यदि हा, तो यह अनुमति प्रदान करने वाले प्राधिकरण का नाम	दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित इस प्लानट की अनुमति डी.पी.सी. सी. द्वारा दी गई है।
ग	उक्त इकाई के परिचालन हेतु आईएल ऍंड एफ एस को आवंटित की गयी भूमि का विवरण यह भूमि कितने समय तक के लिए आवंटित की गई है, संपूर्ण विवरण	उक्त ईकाई का परिचालन 34000 सक्यावर मीटर भूमि पर 2019 तक के लिए दिया गया था जिसे 2022 तक बढा दिया गया तथा 2022 में 15 साल के लिए नया कोन्ट्रेक्ट दे दिया गया है।
घ	क्या इस बात को सुनिषचित करने के लिए कोई कदम उठाए गए है की यह कंपनी अनुबंध की शर्तो का उल्लघन न करते हुए आवंटित भूमि से अधिक अतिक्रमण न करे	इस संदर्भ में यह अवगत कराया जाता है कि संबधित भूमि के चारों तरफ चार दिवारी बनी हुई है।
ड़	क्या यह सत्य है की कंपनी ने डिमोलीशन कचरे हेतु आवंटित भूमि के अतिरिक्त भी बड़े क्षेत्र का उपयोग किया है और	इस संदर्भ में यह अवगत कराया जाता है कि लगभग 500–600 मीट्रीक टन अनकलेमड डिमोलिषन मलबा एम.सी.डी की लोकल डम्पींग साईट से प्रतिदिन लाया जाता है इसके अतिरिक्त 1800–2000 मीट्रीक टन डिमोलिषन मलबा प्रतिदिन अन्य सरकारी विभागों और प्राईवेट पार्टियों द्वारा यहां लाया जाता है। इस प्लान्ट की क्षमता 2000 मीट्रीक टन प्रतिदिन है। इसलिए अतिरिक्त मलबे तथा प्रोसेस्ड़ स्कीन्ड मलबे को अस्थाई रूप से चार दीवारी के बाद जमा किया जाता है। चूंकि नार्थ एम. सी. डी. के क्षेत्र में 2000 मीट्रीक टन प्रतिदिन से ज्यादा मलबा आ रहा है, इसलिए 1000 मीट्रीक टन प्रतिदिन की क्षमता का एक और नया प्लान्ट रानी खेड़ा में लगा दिया गया है। जब यह पूर्ण रूप से परिचालित हो जाएगा तो बाहर जमे हुए मलबे की समस्या खत्म होने की सम्भावना हैं। विभिन्न विभागों जैसे च्ड८ , डवभ्न। , स्ळ और छळ्ज के निर्देषों के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा प्रोसेस्ड़ मलबे के उत्पादों को खरीदा जाता है। परंतु यह सूचित किया जाता है कि जितना प्रोसेस्ड़ मलबे के उत्पादों का उत्पादन होता है उससे कम विभिन्न विभागों द्वारा उठाया जा रहा है। जिसके कारण भी यह मलबा बाहर जमा करना पड़ता है।
च	यदि हां तो इस सबध मे कंपनी के विरुद्ध की गई कारवाई का विवरण ?	उपरोक्तानुसार

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

पूरक सूचना

विषय :– सातवी विधानसभा तृतीय सत्र (बजट सत्र–2022) तारांकित प्र0 सं0. 11 माननीय विधायक श्री पवन शर्मा, दिनांक 24.03.2022 के सन्दर्भ में।

आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में मैसर्स आईएल ऍंड एफ एस जिसका नया नाम इंन्डो इनवायरो इनटीग्रेटीड़ सॉलूसन्स लिमिडेड है का सी एण्ड प्लानट 2009 से चालू है परतुं यह रिहाइशी इलाके से बाहर है। दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित इस प्लानट की अनुमति डी. पी.सी.सी. द्वारा दी गई है। लगभग 500–600 मीट्रीक टन अनकलेमड डिमोलिशन मलबा एम. सी.डी की लोकल डम्पींग साईट से प्रतिदिन लाया जाता है इसके अतिरिक्त 1800–2000 मीट्रीक टन डिमोलिशन मलबा प्रतिदिन अन्य सरकारी विभागों और प्राईवेट पार्टियों द्वारा यहां लाया जाता है। इस प्लान्ट की क्षमता 2000 मीट्रीक टन प्रतिदिन है। इसलिए अतिरिक्त मलबे तथा प्रोसेस्ड़ स्क्रीन्ड मलबे को अस्थाई रूप से चार दीवारी के बाहर जमा किया जाता है। चूंकि नार्थ एम. सी. डी. के क्षेत्र में 2000 मीट्रीक टन प्रतिदिन से ज्यादा मलबा आ रहा है, इसलिए 1000 मीट्रीक टन प्रतिदिन की क्षमता का एक और नया प्लान्ट रानी खेड़ा में लगा दिया गया है। जब यह पूर्ण रूप से परिचालित हो जाएगा तो बाहर जमे हुए मलबे की समस्या खत्म होने की समभावना हैं।

23/3

JE (C&D)